

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं०—17/विविध— 01—79/2026—

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० तबस्सुम परवीन, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), अनुमंडलीय अस्पताल, महुआ, वैशाली को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या—1133(17), दिनांक—29.11.2022 की कंडिका—07 के शर्ताधीन दिनांक—01.01.2026 से 29.06.2026 तक कुल—180 (एक सौ अस्सी) दिनों का प्रथम सतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

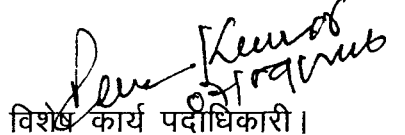
ज्ञापांक :-17/विविध— 01—79/2026— 1145(17) पटना, दिनांक :- 09/09/2026

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सिविल सर्जन, वैशाली/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, महुआ, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— डॉ० तबस्सुम परवीन, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), अनुमंडलीय अस्पताल, महुआ, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।